मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
तारांकित प्रश्न सं. *5
02.02.2023 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट का प्रबंधन

***5. श्री सतीश चंद्र दूबे :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश भर में इलेक्ट्रॉनिक और अन्य अपशिष्ट में संवृद्धि और उसके प्रबंधन के अनुपात में पुनर्चक्रण इकाइयों की संख्या कितनी है;
(ख) अपशिष्ट उत्पादन और पुनर्चक्रण की मात्रा का राज्य वार विवरण क्या है;
(ग) क्या सरकार इस संबंध में जनता में जागरूकता लाने हेतु कोई विशेष योजना चला रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

*****

'ई-अपशिष्ट के प्रबंधन' के संबंध में श्री सतीश चंद्र दूबे द्वारा दिनांक 02.02.2023 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *5 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण/विघटन इकाइयों की कुल संख्या 567 है जिनकी समेकित वार्षिक क्षमता 17,22,624.27 टन प्रति वर्ष है, जिनमें से ई-अपशिष्ट पुनर्चक्रण इकाइयों की संख्या 208 है जिनकी कुल संस्थापित पुनर्चक्रण क्षमता 10,68,837.87 टन प्रति वर्ष है। वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2021-22 में इक्कीस (21) प्रकार के अधिसूचित विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सृजित ई-अपशिष्ट की अनुमानित मात्रा 16,01,155.36 टन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्रित और प्रसंस्कृत ई-अपशिष्ट की मात्रा 5,27,131.57 टन है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्रित और प्रसंस्कृत ई-अपशिष्ट का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) और (घ): ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम, 2022 के तहत, अनुसूची-I में सूचीबद्ध विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उत्पादक मीडिया, प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों के माध्यम से अथवा संचार के किसी अन्य माध्यम से हितधारकों में जागरूकता सृजन करने हेतु उत्तरदायी होंगे। पूरे देश में ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम के प्रवर्तन हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना में राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाने वाली सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आईईसी) योजना के माध्यम से आम जनता में जन-जागरूकता सृजित करने का घटक शामिल है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा आम जनता के लिए उनके ई-अपशिष्ट के उचित और वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन हेतु जन-जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जा रहे हैं।

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) द्वारा मार्च, 2015 से मार्च, 2020 के दौरान 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में असंगठित क्षेत्र द्वारा ई-अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के जोखिमों के विषय में लोगों में जागरूकता सृजित करने तथा अपने ई-अपशिष्ट का निपटान करने की वैकल्पिक पद्धतियों के विषय में उन्हें शिक्षित करने हेतु ''इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट के पर्यावरणीय जोखिमों के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम'' कार्यान्वित किया गया था।

इस कार्यक्रम के तहत, विभिन्न शहरों में 1923 कार्यशालाएं और गतिविधियां आयोजित की गई थीं जिनमें लगभग 13,27,420 स्कूलों, कॉलेजों, निवासी कल्याण संघों, विनिर्माताओं, अनौपचारिक संचालकों, थोक उपभोक्ताओं, विक्रेताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं आदि ने भाग लिया था। इसके अलावा, 1247 हरित ई-चैंपियनों/प्रशिक्षकों को भी प्रशिक्षित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए प्रशिक्षण उपकरण, विषय सामग्री, फिल्म, मुद्रित सामग्री, वीडियो और जिंगल आदि तैयार किए गए हैं जो इसी उद्देश्य से सृजित वेबसाइट (www.greene.gov.in) पर नि:शुल्क उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, कक्षा 7 से 9 के छात्रों के लिए उपयुक्त **दीक्षा** प्लेटफॉर्म हेतु ऑनलाइन सामग्री भी तैयार की गई है और अध्यापकों द्वारा उसका उपयोग किया जा रहा है।

*****

अनुबंध-I

वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान एकत्रित और प्रसंस्कृत किए गए ई-अपशिष्ट का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**एकत्रित और प्रसंस्कृत किया गया ई(टन में) अपशिष्ट-**
1.	आंध्र प्रदेश	2021.19
2.	असम	67.00
3.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.78
4.	बिहार	41.07
5.	छत्तीसगढ	4167.90
6.	चंडीगढ़	67.92
7.	दिल्ली	2130.79
8.	दादरा और नगर हवेली और दमन दीव	12.34
9.	गुजरात	30569.32
10.	हरियाणा	245015.82
11.	हिमाचल प्रदेश	373.20
12.	जम्मू और कश्मीर	561.61
13.	झारखंड	366.71
14.	कर्नाटक	39150.63
15.	केरल	1249.61
16.	मध्य प्रदेश	553.59
17.	महाराष्ट्र	18559.30
18.	मिजोरम	14.85
19.	ओडिशा	477.54
20.	पंजाब	28375.27
21.	पुदुचेरी	31.77
22.	राजस्थान	27998.77
23.	सिक्किम	8.47
24.	तमिलनाडु	31143.21
25.	तेलंगाना	42297.68
26.	त्रिपुरा	13.67
27.	उत्तराखंड	51541.12
28.	पश्चिम बंगाल	320.44
	कुल	**5,27,131.57**